नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
(इसके बाद इसे एअर इंडिया समझा जाए)

यात्री और यात्री सामान वहन की सामान्य शर्तें

पिछली बार 12 अप्रैल, 2010 को अद्यतन किया गया

विषय सूची

अनुच्छेद 1 - परिभाषाएं 3
अनुच्छेद 2 - लागू होना 5
अनुच्छेद 3 - टिकट 6
अनुच्छेद 4 - विराम 9
अनुच्छेद 5 - किराए और प्रभार 9
अनुच्छेद 6 - आरक्षण 10
अनुच्छेद 7 - चैक-इन 11
अनुच्छेद 8 - इंकार और वहन की परिसीमा 11
अनुच्छेद 9 - यात्री सामान 12
अनुच्छेद 10 - समय सारणी, उड़ानों का रद्द किया जाना 16
अनुच्छेद 11 - प्रतिदाय 17
अनुच्छेद 12 - विमान में आचरण 19
अनुच्छेद 13 - वाहक द्वारा इंतज़ाम 19
अनुच्छेद 14 - प्रशासनिक औपचारिकताएं 19
अनुच्छेद 15 - आनुक्रमिक वाहक 21
अनुच्छेद 16 - नुकसान के लिए दायित्व 21
अनुच्छेद 17 - दावों और कार्रवाइयों पर समय परिसीमा 25
अनुच्छेद 18 - उपांतरण और अधित्यजन 26

अनुच्छेद 1 - परिभाषाएं

"**सहमत विराम स्थान**" से प्रस्थान और गंतव्य स्थान के सिवाय वे स्थान अभिप्रेत हैं, जो टिकट में या वाहक की समय सारणियों में यात्री के यात्रा मार्ग पर अनुसूचित विराम स्थानों के रूप में दर्शाए गए हैं।

"**यात्री सामान**" से किसी यात्री की ऐसी वस्तुएं, चीज़बस्त और अन्य व्यक्तिगत संपत्ति अभिप्रेत हैं, जो पहनने, उपयोग, आराम या यात्रा के संबंध में सुविधा के लिए आवश्यक या उपयुक्त हैं और ऐसी अन्य मदें हैं, जो ऐसी यात्रा पर यात्री के साथ सुविधापूर्वक वहन की जा सकती हैं और वहन के लिए वाहक द्वारा स्वीकार की जाती हैं। जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए इसके अन्तर्गत दोनों आते हैं यात्री का वाहक को सौंपा गया और सौंपा नहीं गया सामान।

"**यात्री सामान टिकट**" से टिकट के वे भाग अभिप्रेत हैं, जो यात्री के वाहक को सौंपे गए सामान के वहन से संबंधित हैं।

"**यात्री सामान पहचान टैग**" से अभिप्रेत है वाहक को सौंपे गए यात्री सामान की पहचान मात्र के लिए वाहक द्वारा जारी किया गया दस्तावेज़।

"**वाहक**" के अन्तर्गत टिकट जारी करने वाला विमान वाहक और वे सभी विमान वाहक हैं, जो उसके अधीन यात्री और / या उसका सामान वहन करते हैं या वहन करने का वचनबंध करते हैं।

"**वाहक के विनियम**" से इन शर्तों से भिन्न ऐसे नियम अभिप्रेत हैं, जो यात्रियों और / या यात्री सामान को शासित करने के लिए वाहक द्वारा अधिकथित किए जाएं और तत्समय प्रवृत्त हों और इसके अन्तर्गत संविदा की वे शर्तें हैं, जो टिकट में सम्मिलित हैं तथा ऐसे टैरिफ हैं जो लागू और प्रवृत्त हैं।

"**वाहक को सौंपा गया यात्री सामान**" से ऐसा यात्री सामान अभिप्रेत है, जो केवल वाहक की अभिरक्षा में है और जिसके लिए वाहक ने यात्री सामान टैग दिया है।

"**वाणिज्यिक करार**" से ऐसा करार अभिप्रेत है, जो किसी एजेंसी करार के अलावा वाहकों के बीच यात्रियों को विमान द्वारा वहन करने के लिए उनकी संयुक्त सेवाओं के प्रावधान के संबंध में किया जाता है।

"**संयोजित टिकट**" से ऐसा टिकट अभिप्रेत है जो किसी यात्री को किसी और टिकट के संयोजन में दिया गया है और दोनों मिलकर वहन की एक संविदा गठित करता है।

"**कन्वेंशन**" से 28 मई, 1999 को मॉन्ट्रियाल अथवा 12 अक्तूबर, 1929 को वारसा में हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय विमानवहन से संबंधित कतिपय नियमों के एकीकरण के लिए कन्वेंशन या 1955 के हेग प्रोटोकॉल द्वारा यथासंशोधित जो भी वहन संविदा के अधीन वहन को लागू हो, कन्वेंशन अभिप्रेत है।

"**नुकसान**" से अभिप्रेत है वाहक द्वारा किए गए विमानवहन के अनुक्रम के दौरान या विमान में चढ़ने या विमान से उतरने की किसी संक्रिया के अनुक्रम में होने वाली मृत्यु, क्षति, विलंब, हानि या अन्य नुकसान।

"**दिन**" से कैलेंडर दिन अभिप्रेत हैं, जिनके अन्तर्गत सप्ताह के सभी सात दिन हैं, परंतु अधिसूचना के प्रयोजन के लिए जिस दिन सूचना प्रेषित की जाती है उस दिन को गणना में नहीं लिया जाएगा; और विधिमान्यता की अवधि के अवधारण के प्रयोजन के लिए वह दिन गणना में नहीं लिया जाएगा, जिस दिन टिकट जारी किया जाता है या उड़ान प्रारंभ होती है।

"**इलैक्ट्रॉनिक कूपन**" से अभिप्रेत है इलैक्ट्रॉनिक उड़ान कूपन अथवा वाहक के डाटाबेस में धारित अन्य मूल्यवान दस्तावेज़।

"**इलैक्ट्रॉनिक टिकट**" से अभिप्रेत है वाहक द्वारा अथवा उसकी ओर से जारी यात्राक्रम / रसीद, इलैक्ट्रॉनिक कूपन तथा यदि लागू हो, तो बोर्डिंग दस्तावेज़।

"**उड़ान कूपन**" से टिकट का वह भाग अभिप्रेत है जिस पर "यात्रा के लिए मान्य" प्रविष्टि है और जिस पर वे विशेष स्थान उपदर्शित किए गए हैं, जिनके बीच यात्री वहन किए जाने के लिए हक़दार है।

"**यात्राक्रम / रसीद**" से अभिप्रेत है दस्तावेज़ या इलैक्ट्रॉनिक टिकट का भाग निर्मित करने वाला दस्तावेज़, जिसमें कन्वेंशन के अंतर्गत अपेक्षित सूचना तथा नोटिस समाविष्ट हो, जैसाकि अन्यथा आवश्यक हो ।

"**यात्री**" से अभिप्रेत है कर्मीदल के सदस्यों के अलावा, वाहक की सहमति से किसी विमान में वहन किया गया या वहन किए जाने वाला कोई व्यक्ति।

"**यात्री कूपन**" या "**यात्री रसीद**" से अभिप्रेत है वाहक द्वारा या उसकी ओर से जारी किया गया टिकट का वह भाग जो इस प्रकार अंकित है और जो अन्ततोगत्वा यात्री द्वारा रखा जाना है।

"**मूल तथा स्थायी आवास**" से अभिप्रेत है दुर्घटना के समय यात्री का नियत तथा स्थायी निवास । इस संबंध में यात्री की राष्ट्रीयता निर्धारण कारक नहीं होगी ।

"**विराम**" से अभिप्रेत है प्रस्थान स्थान और गंतव्य स्थान के बीच किसी स्थान पर यात्री द्वारा यात्रा जानबूझकर भंग किया जाना, जिसके लिए वाहक पहले ही सहमत हो चुका है।

"**टिकट**" से अभिप्रेत है वाहक द्वारा या उसकी ओर से जारी किया गया "यात्री टिकट और यात्री सामान टिकट" नामक दस्तावेज़ और उसके अन्तर्गत उसमें अन्तर्विष्ट संविदा-शर्तें और सूचनाएं तथा उड़ान और यात्री कूपन।

"**वाहक को नहीं सौंपा गया यात्री सामान**" से अभिप्रेत है वाहक को सौंपे गए यात्री सामान से भिन्न यात्री का सभी सामान।

"**विशेष आहरण अधिकार**" से अभिप्रेत है वह विशेष आहरण अधिकार जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा लागू की गई मूल्यांकन रीति के अनुसार राष्ट्रीय करेंसी में संपरिवर्तन किए जाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा परिनिश्चित किया गया है ।

अनुच्छेद 2 - लागू होना

2.1 सामान्य

2.1.1 2.2 से 2.5 में यथाउपबंधित के सिवाय, वहन की ये शर्तें वाहक द्वारा पारिश्रमिक के लिए किए गए यात्रियों और यात्री सामान के वायु द्वारा सभी वहन को लागू होंगी चाहे वहन अंतरराष्ट्रीय हो या ऐसा वहन हो, जो अंतरराष्ट्रीय नहीं है ।

2.1.2 ये शर्तें आनुग्रहिक और न्यूनीकृत किराया वहन को भी लागू होंगी किंतु यदि वाहक ने अपने विनियमों या सुसंगत संविदाओं, पासों या टिकटों में अन्यथा उपबंध किए हैं तो ये उस विस्तार तक लागू नहीं होंगी ।

2.1.3 विमान वहन के संबंध में, जिसमें भारतीय विमानवहन अधिनियम, 1972 यथासंशोधित 2009 के अधिनियम संख्या 28 दिनांक 20 मार्च, 2009 में यथाउल्लिखित कन्वेंशन द्वारा दायित्व संबंधी अंतरराष्ट्रीय नियम एवं परिसीमाएं लागू होंगी ।

2.1.4 ऐसे विमानवहन की बाबत जो अंतरराष्ट्रीय नहीं है, भारतीय विमानवहन अधिनियम, 1972 की धारा 8 के अधीन समय-समय पर निकाली गई अधिसूचनाओं द्वारा विनिर्दिष्ट दायित्व से संबंधित नियम और परिसीमाएं लागू होंगी ।

2.2 अमरीका और कनाडा को / से वहन

2.2.1 कनाडा को / से वहन

ये शर्तें कनाडा में स्थित स्थानों के बीच या कनाडा में किसी स्थान और उसके बाहर के किसी स्थान के बीच वहन को केवल उस विस्तार तक लागू होंगी, जिस तक वे कनाडा में प्रवृत्त टैरिफों में सम्मिलित हैं ।

2.2.2 अमरीका को / से वहन

ये शर्तें यू.एस. फेडरल एविएशन एक्ट ऑफ 1958 में यथापरिभाषित वायु परिवहन को लागू नहीं होती हैं ।

2.3 चार्टर

यदि वहन किसी चार्टर करार के अनुसरण में किया जाता है, तो ये शर्तें केवल उस विस्तार तक लागू होंगी, जिस विस्तार तक वे चार्टर करार और चार्टर टिकट के निबंधनों के निर्देशों द्वारा सम्मिलित की गई हैं ।

2.4 अध्यारोही विधि

जहां तक इसमें अंतर्विष्ट या निर्दिष्ट कोई उपबंध किसी लागू कन्वेंशन में और किन्हीं लागू विधियों, सरकारी विनियमों, आदेशों या अपेक्षाओं में अंतर्विष्ट किसी बात के विरुद्ध है, जिसका पक्षकारों की सहमति से अधित्यजन नहीं किया जा सकता, वहां ऐसा उपबंध लागू नहीं होगा। किसी उपबंध की अविधिमान्यता से किसी अन्य उपबंध की विधिमान्यता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2.5 शर्तें विनियमों पर अभिभावी हैं

इसमें यथा उपबंधित के सिवाय, इन शर्तों और वाहक के विनियमों में किसी असंगति की दशा में, ये शर्तें उस दशा के सिवाय अभिभावी होंगी, जहां अमरीका या कनाडा में प्रवृत्त टैरिफ लागू होते हैं और उस दशा में टैरिफ अभिभावी होंगे।

अनुच्छेद 3 - टिकट

3.1 टिकट संविदा का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य है

3.1.1 टिकट पर नामित वाहक और यात्री के बीच वहन की संविदा का साक्ष्य प्रथमदृष्ट्या टिकट निर्मित करता है। वाहक केवल ऐसे टिकट धारक या भुगतान या आंशिक भुगतान के साक्ष्य के रूप में धारित या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा जारी किसी अन्य वाहक दस्तावेज़ धारित करने वाले यात्रियों का ही वहन करेगा। टिकट हमेशा जारीकर्ता वाहक की संपत्ति रहेगी। टिकट में समाविष्ट संविदा की शर्तें वहन की इन शर्तों के कुछ प्रावधानों का सारांश होगा।

3.1.2 टिकट के लिए अपेक्षा

इलैक्ट्रॉनिक टिकट के अलावा, कोई व्यक्ति किसी विमान पर वहन के लिए हक़दार नहीं होगा, जब तक वह व्यक्ति वाहक की विनियमावली के अनुसार विधिवत् जारी वैध टिकट प्रस्तुत न करे और उस उड़ान के लिए समाविष्ट उड़ान कूपन और अन्य सभी अप्रयुक्त उड़ान कूपन और यात्री कूपन प्रस्तुत न करे। इसी क्रम में, कोई यात्री वहन किए जाने का हक़दार नहीं होगा यदि प्रस्तुत किया गया टिकट विकृत है या उसमें कोई ऐसा परिवर्तन है जो वाहक अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता ने नहीं किया है। इलैक्ट्रॉनिक टिकट के मामले में कोई व्यक्ति किसी उड़ान पर वहन का हक़दार नहीं होगा जब तक वह व्यक्ति उपयुक्त पहचान उपलब्ध नहीं कराता और उसके पास वाहक की विनियमावली के अनुसार विधिवत् जारी वैध टिकट न हो और वाहक के डाटाबेस में समाविष्ट न हो।

3.1.3 टिकट खो जाना आदि

किसी टिकट या उसके भाग के खो जाने या विकृत हो जाने या यात्री कूपन अन्तर्विष्ट करने वाला टिकट और सभी अप्रयुक्त उड़ान कूपनों के प्रस्तुत न करने की दशा में जारी करने वाला वाहक, यात्री के अनुरोध पर और अपने समाधानप्रद इस सबूत की प्राप्ति पर कि संबंधित उड़ानों के लिए विधिमान्य टिकट सम्यक रूप से जारी किया गया था तथा ऐसी समुचित शर्तों के पालन किए जाने पर जिनकी वाहक द्वारा अपेक्षा

की जाए, जिसके अन्तर्गत सेवा प्रभार का संदाय है, ऐसा टिकट या उसके भाग को प्रतिस्थापित कर सकेगा।

3.1.4 टिकट हस्तांतरणीय

टिकट हस्तांतरणीय नहीं होता। यदि किसी टिकट पर उस टिकट के अनुसरण में वहन के लिए हक़दार व्यक्ति से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति यात्रा करता हो अथवा उसके संबंध में धन वापस किया जाता है, तो वाहक इस तरह हक़दार व्यक्ति के प्रति यदि सद्भावना के साथ वहन उपलब्ध कराया जाए, या धन वापस किया जाए, तो उसके संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा। यदि इसके अंतर्गत वहन किए जाने के लिए हक़दार व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा टिकट प्रस्तुत किया जाए या उसके संबंध में धन वापसी के लिए टिकट प्रस्तुत किया जाए, तो वाहक यदि सद्भावना से वहन उपलब्ध कराता है या टिकट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को धन वापस करता है, तो वह हक़दार व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

3.2 विधिमान्यता की अवधि

इन शर्तों या वाहक के विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय टिकट यात्रा के प्रारंभ की तारीख से, या यदि टिकट के किसी भाग का उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष के लिए, वहन के लिए विधिमान्य है।

3.2.1 विधिमान्यता का विस्तार

3.2.1.1 यदि कोई यात्री टिकट की विधिमान्यता की अवधि के भीतर यात्रा करने से इस कारण निवारित हो जाता है कि वाहक :

1. उस उड़ान को रद्द कर देता है, जिस पर यात्री का आरक्षण है; या
2. किसी अनुसूचित विराम का लोप कर देता है, जो उस यात्री का प्रस्थान स्थान, गंतव्य स्थान या विराम स्थान है; या
3. किसी उड़ान को युक्तियुक्त रूप से समय-सारणी के अनुसार प्रचालित करने में असफल रहता है; या
4. के कारण यात्री को आगे मिलने वाली उड़ान नहीं मिलती है; या
5. कोई भिन्न श्रेणी की सेवा प्रतिस्थापित कर देता है; या
6. पहले से ही पुष्ट स्थान देने में असमर्थ है; तो ऐसे यात्री की टिकट की विधिमान्यता वाहक की उस पहली उड़ान तक बढ़ा दी जाएगी, जिस पर उस सेवा की श्रेणी में स्थान उपलब्ध है जिसके लिए किराया दिया गया है।

3.2.1.2 जब टिकट धारण करने वाला कोई यात्री टिकट की विधिमान्यता की अवधि के भीतर इस कारण से यात्रा करने से निवारित हो जाता है कि उस समय जब ऐसा यात्री आरक्षण के लिए अनुरोध करता है वाहक उस उड़ान पर स्थान उपलब्ध कराने में असमर्थ है तब ऐसे यात्री की टिकट का विधिमान्यता वाहक के विनियमों के अनुसार बढ़ा दी जाएगी।

3.2.1.3 जब कोई यात्री अपनी यात्रा प्रारंभ करने के पश्चात् टिकट की विधिमान्यता की अवधि के दौरान बीमारी के कारण यात्रा करने से निवारित हो जाता है तो वाहक (यदि ऐसा विस्तार यात्री द्वारा दिए गए किराए को लागू वाहक के विनियमों द्वारा प्रवारित नहीं है) ऐसे यात्री के टिकट की विधिमान्यता की अवधि ऐसी तारीख तक जब तक यात्री चिकित्सीय प्रमाणपत्र के अनुसार यात्रा करने के योग्य नहीं हो जाता है या ऐसी तारीख के पश्चात् उस स्थान से जहां से यात्रा पुनरारंभ की जाती है उस सेवा की श्रेणी में जिसमें स्थान उपलब्ध है जिसके लिए किराया दिया गया है, सर्वप्रथम उड़ान तक बढ़ा सकेगा। जब टिकट में अवशिष्ट उड़ान कूपनों में एक या अधिक विराम हैं तब ऐसे टिकट की विधिमान्यता वाहक के विनियमों के अधीन रहते हुए ऐसे प्रमाणपत्र पर दर्शित तारीख से तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी । ऐसी परिस्थितियों में वाहक असमर्थ यात्री के साथ यात्रा करने वाले यात्री के निकटस्थ कुटुंब के अन्य सदस्यों के टिकटों की विधिमान्यता की अवधि उसी प्रकार बढ़ा सकेगा।

3.2.1.4 रास्ते में किसी यात्री की मृत्यु हो जाने पर यात्री के साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों के टिकटों का उपांतरण न्यूनतम विराम की शर्त का अधित्यजन करके या विधिमान्यता का विस्तार करके किया जा सकेगा । किसी यात्री के जिसने यात्रा प्रारंभ की है, निकटस्थ कुटुंब में मृत्यु हो जाने पर यात्री की और उसके निकटस्थ कुटुंब की, जो यात्री के साथ यात्रा कर रहा हो, टिकटों की विधिमान्यता उसी प्रकार उपांतरित की जा सकेगी। कोई ऐसा उपांतरण समुचित मृत्यु प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर किया जाएगा और विधिमान्यता मृत्यु की तारीख से पैंतालीस (45) दिन से अधिक लंबी अवधि के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी।

3.3 उड़ान कूपन की अनुक्रम

3.3.1 वाहक उड़ान कूपन अथवा इलैक्ट्रॉनिक टिकट के मामले में कोई इलैक्ट्रॉनिक कूपन टिकट पर दर्शाए गए प्रस्थान की जगह से केवल अनुक्रम में स्वीकार करेगा।

3.3.2 यदि अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए प्रथम उड़ान कूपन अथवा इलैक्ट्रॉनिक टिकट के मामले में इलैक्ट्रॉनिक कूपन का उपयोग नहीं किया गया है और यात्री किसी विराम स्थान या सहमत विराम स्थान से अपनी यात्रा प्रारंभ करता / करती है तो टिकट वैध नहीं होगा और वाहक यात्री के टिकट को स्वीकार नहीं करेगा।

3.3.3 प्रत्येक उड़ान कूपन अथवा इलैक्ट्रॉनिक टिकट के मामले में इलैक्ट्रॉनिक कूपन, उसमें विनिर्दिष्ट सेवा की श्रेणी में वहन के लिए उस तारीख को उस उड़ान के लिए, जिसके लिए स्थान आरक्षित किया गया है, स्वीकार किया जाएगा। जब उड़ान कूपन अथवा इलैक्ट्रॉनिक टिकट के मामले में इलैक्ट्रॉनिक कूपन, उन पर आरक्षण विनिर्दिष्ट किए बिना जारी किए जाते हैं, तब सुसंगत किराया दिए जाने और आवेदित उड़ान में स्थान उपलब्ध होने पर आवेदक के लिए स्थान आरक्षित किया जाएगा।

3.4 वाहक का नाम और पता

वाहक का नाम टिकट में संक्षिप्त रूप से लिखा जा सकेगा । टिकट में "वाहक" कोष्ठ में वाहक के नाम के प्रथम संक्षेपाक्षर के सामने दर्शित प्रस्थान हवाईअड्डा ही वाहक का पता समझा जाएगा।

अनुच्छेद 4 - विराम

सरकारी अपेक्षाओं और वाहक के विनियमों के अधीन रहते हुए, परस्पर सहमत विराम स्थानों पर विराम अनुज्ञात किए जा सकेंगे।

अनुच्छेद 5 - किराए और प्रभार

5.1 सामान्य

किराए केवल उद्गम स्थान के हवाईअड्डे से गंतव्य स्थान के हवाईअड्डे तक वहन को लागू होते हैं। किरायों के अंतर्गत हवाईअड्डों के बीच और हवाईअड्डों तथा नगर टर्मिनलों के बीच सड़क परिवहन सेवा शामिल नहीं है जब तक कि उसकी व्यवस्था वाहक द्वारा अतिरिक्त प्रभार के बिना न की गई हो।

5.2 लागू किराए

लागू किराए वे हैं जो वाहक द्वारा या उसकी ओर से प्रकाशित किए गए हैं या यदि इस प्रकार प्रकाशित नहीं किए गए हैं तो वे हैं जो वाहक के विनियमों के अनुसार संगणित किए गए हैं। सरकारी अपेक्षा और वाहक के विनियमों के अधीन रहते हुए लागू किराया, वह किराया है जो टिकट के प्रथम उड़ान कूपन के अंतर्गत आने वाले वहन के प्रारंभ की तारीख को वास्तविक उड़ान या उड़ानों के लिए है। जब वह रकम, जो ली गई है, लागू किराया नहीं है तब राशि में जो अंतर है, उसे वाहक के विनियमों के अनुसार, यथास्थिति, यात्री द्वारा दिया जाएगा या वाहक द्वारा वापस किया जाएगा।

5.3 मार्ग

जब तक वाहक के विनियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, किराए उनके संबंध में प्रकाशित मार्गों के लिए ही लागू होते हैं। यदि एक ही किराए पर एक से अधिक मार्ग है तो यात्री, टिकट जारी किए जाने से पूर्व, मार्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगा। यदि कोई मार्ग विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है वाहक मार्ग का अवधारण करेगा।

5.4 कर और प्रभार

सरकार या अन्य प्राधिकारी या किसी हवाईअड्डे के ऑपरेटर द्वारा किसी यात्री की या किसी यात्री द्वारा किन्हीं सेवाओं या सुविधाओं के उपयोग की बाबत अधिरोपित कोई कर या प्रभार प्रकाशित किरायों और प्रभारों के अतिरिक्त होगा और जब तक वाहक के विनियमों में अन्यथा उपबंधित न हो यात्री द्वारा देय होगा। किसी कारण से टिकट पर पहले से वसूल न किया गया कर अथवा शुल्क यात्री को अदा करना होगा।

5.5 करेंसी

किराए और प्रभार वाहक को स्वीकार्य किसी करेंसी में देय हैं। जब संदाय उस करेंसी से भिन्न करेंसी में किया जाता है, जिसमें किराया प्रकाशित किया गया है तब संदाय वाहक के विनियमों के अनुसार स्थापित विनिमय दर पर किया जाएगा।

अनुच्छेद 6 - आरक्षण

6.1 आरक्षण अपेक्षाएं

6.1.1 आरक्षणों की तब तक पुष्टि नहीं होती है जब तक वह वाहक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा स्वीकृत के रूप में अभिलिखित न किए जाएं।

6.1.2 कुछ किरायों में वाहक के विनियमों में यथा उपबंधित, ऐसी शर्तें हो सकेंगी जो आरक्षण बदलने या रद्द करने के यात्री के अधिकार को सीमित करती हैं या अपवर्जित करती हैं।

6.2 टिकट जारी करने की समय-सीमाएं

यदि किसी यात्री ने टिकट जारी करने की विनिर्दिष्ट समय सीमा के पूर्व टिकट के लिए संदाय नहीं किया है, (या वाहक के साथ प्रत्यय ठहराव नहीं किया है) तो वाहक आरक्षण रद्द कर सकेगा।

6.3 व्यक्तिगत आंकड़े

यात्री यह मानता है कि वहन के आरक्षण के प्रयोजन और अनुषंगिक सेवाएं अभिप्राप्त करने, आप्रवासन तथा प्रवेश आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने तथा ऐसे आंकड़े सरकारी एजेंसियों को उपलब्ध कराने के लिए, जो ऐसी व्यक्तिगत जानकारी अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ आदान-प्रदान कर सकें, जो वाहकों के नियंत्रण के बाहर है, वाहक को इस संबंध में व्यक्तिगत आंकड़े दिए गए हैं। यात्री इन प्रयोजनों के लिए यह जानकारी अपने पास प्रतिधारित रखने के लिए और अपने कार्यालयों, अन्य वाहकों या ऐसी सेवाएं प्रदान करने वालों को चाहे वे किसी भी देश में स्थित हों, पारेषित करने के लिए वाहक को प्राधिकृत करता है।

6.4 सीट

वाहक विमान में कोई विशेष सीट देने की गारंटी नहीं देता है और यात्री इसके लिए सहमत है कि वह उड़ान पर सेवा की उस श्रेणी में जिसके लिए टिकट जारी किया गया है जो भी सीट आबंटित की जाएगी उसे स्वीकार कर लेगा।

6.5 स्थान का अधिभोग न करने पर सेवा प्रभार

यदि कोई यात्री ऐसे स्थान का उपयोग करने में असफल रहता है जिसके लिए आरक्षण किया गया है तो वाहक के विनियमों के अनुसार उसके द्वारा सेवा प्रभार देय हो सकेगा।

6.6 आरक्षणों की पुनःपुष्टि

जाने के या लौटने के आरक्षण वाहक के विनियमों के अनुसार और उनमें विनिर्दिष्ट समय सीमाओं के भीतर आरक्षण के पुनःपुष्ट किए जाने की अपेक्षा के अधीन रहते हुए हो सकेंगे। किसी ऐसी अपेक्षा का पालन करने में असफलता के परिणामस्वरूप जाने या लौटने के आरक्षण रद्द किए जा सकेंगे।

6.7 वाहक द्वारा किए गए आगे जाने के आरक्षणों का रद्दकरण

यदि कोई यात्री आरक्षण का उपयोग नहीं करता है और वाहक को सूचना देने में असफल रहता है तो वाहक जाने के या लौटने के आरक्षणों को रद्द कर सकेगा या उनके रद्दकरण के लिए अनुरोध कर सकेगा।

अनुच्छेद 7 - चैक-इन

यात्री वाहक के चैक-इन स्थल और बोर्डिंग गेट पर सरकारी औपचारिकताएं और प्रस्थान प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए उड़ान के प्रस्थान से पर्याप्त समय पहले पहुंचेगा और किसी भी दशा में उस समय के पश्चात् नहीं जो वाहक द्वारा उपदर्शित किया जाए। यदि यात्री वाहक के चैक-इन स्थल या बोर्डिंग गेट पर पहुंचने में असफल रहता है या ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास समुचित दस्तावेज़ नहीं हैं और वह यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है, तो वाहक उस यात्री के लिए आरक्षित स्थान को रद्द कर सकेगा और उड़ान में विलंब नहीं करेगा। वाहक इस अनुच्छेद के उपबंधों के पालन में यात्री की असफलता के कारण हुई हानि या व्यय के लिए यात्री के प्रति दायी नहीं है।

अनुच्छेद 8 - इंकार और वहन की परिसीमा

8.1 वहन करने से इंकार करने का अधिकार

वाहक किसी यात्री को या यात्री के सामान को सुरक्षा कारणों के आधार पर या निम्नलिखित कारणों के आधार पर वहन करने से इंकार कर सकेगा यदि अपने युक्तियुक्त विवेक के प्रयोग में वाहक यह अवधारण करता है कि :-

8.1.1 ऐसी कार्रवाई किसी राज्य या देश की जिससे, जिसमें और जिसके ऊपर से उड़ान की जानी है, किन्हीं लागू विधियों, विनियमों या आदेशों के पालन के लिए आवश्यक है; या

8.1.2 यात्री का आचरण, आयु या मानसिक अथवा शारीरिक स्थिति ऐसी है कि :

8.1.2.1 वाहक की विशेष सहायता अपेक्षित है; या

8.1.2.2 अन्य यात्रियों को असुविधा कर सकता / सकती है या उनके लिए आक्षेपणीय हो सकता / सकती है; या

8.1.2.3 उसको या अन्य व्यक्तियों को या संपत्ति को परिसंकट या खतरा हो सकता है; या

8.1.3 ऐसी कार्रवाई इस कारण से आवश्यक है कि यात्री वाहक के अनुदेशों का पालन करने में असफल रहा है; या

8.1.4 यात्री ने सुरक्षा जांच कराने से इंकार किया है; या

8.1.5 लागू किराए या देय प्रभार या कर जो नहीं दिए गए हैं या वाहक और यात्री (या टिकट के लिए भुगतान करने वाला व्यक्ति) के बीच हुए सहमत करार के प्रत्यय ठहरावों का पालन नहीं किया है; या

8.1.6 ऐसा प्रतीत होता है कि यात्री के पास उचित दस्तावेज़ नहीं हैं; या

8.1.7 यात्री द्वारा प्रस्तुत किया गया टिकट :

1. अवैध रूप से अर्जित किया गया या जारी करने वाले वाहक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति से क्रय किया गया है, या
2. खो गया या चोरी हो गया, रिपोर्ट किया गया है, या
3. कूटकृत टिकट है, या
4. कोई उड़ान कूपन वाहक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा परिवर्तित किया गया है या विकृत किया गया है और वाहक के ऐसे टिकट को प्रतिधारित करने का अधिकार आरक्षित है, या

8.1.8 टिकट प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति यह साबित नहीं कर सकता है कि वह ही "यात्री का नाम" कोष्ठ में नामित व्यक्ति है और वाहक को ऐसे टिकट को प्रतिधारित करने का अधिकार आरक्षित है।

8.2. वहन परिसीमा

ऐसे बालक जिनके साथ कोई नहीं है, अशक्त व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों या रुग्ण व्यक्तियों को वहन के लिए स्वीकार किया जाना वाहक के विनियमों के अनुसार वाहक के साथ पूर्व व्यवस्था के अधीन हो सकेगा।

अनुच्छेद 9 - यात्री सामान

9.1 यात्री सामान के रूप में अस्वीकार्य वस्तुएं

9.1.1 यात्री के सामान में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होगा :

9.1.1.1 वे मदें, जो इसके अनुच्छेद 1 में परिभाषित यात्री सामान नहीं हैं;

9.1.1.2 वे मदें, जिनसे विमान या व्यक्तियों, या विमान में संपत्ति को खतरा संभाव्य है जैसे वे, जो अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) और अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन एसोसिएशन (आयटा) के ख़तरनाक माल विनियमों और वाहक के विनियमों में विनिर्दिष्ट हैं (और जानकारी, अनुरोध करने पर वाहक से उपलब्ध हो सकती है);

9.1.1.3 वे मदें, जिनका वहन किसी राज्य की, जिससे, जिसमें या जिसके ऊपर से उड़ान की जानी है, लागू विधियों, विनियमों या आदेशों द्वारा प्रतिषिद्ध है;

9.1.1.4 वे मदें जो वाहक की राय में उनके भार, आकार या स्वरूप के कारण वहन के लिए अनुपयुक्त हैं, जैसे नाज़ुक या विनश्वर मदें;

9.1.1.5 जीवित जीवजंतु सिवाय उनके जिनके लिए 9.10 में उपबंध किया गया है।

9.1.2 अग्न्यायुध और गोली बारूद जो शिकार और खेल-कूद प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए हैं, यात्री सामान के रूप में वहन किए जाने के लिए प्रतिषिद्ध हैं। शिकार और खेल-कूद प्रयोजनों के लिए अग्न्यायुध और गोली-बारूद वाहक के विनियमों अनुसार वाहक को सौंपे गए यात्री सामान के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। अग्न्यायुध सुरक्षा पकड़ सहित भरे हुए नहीं होने चाहिएं और उचित रूप से पैक होने चाहिएं। गोली-बारूद का वहन इकाओ और आयटा के ख़तरनाक माल विनियमों के अधीन रहते हुए हो सकता है।

9.1.3 यात्री वाहक को सौंपे गए यात्री सामान में नाज़ुक या विनश्वर मदें, धन, आभूषण, बहुमूल्य धातुएं, चांदी के बर्तन, परक्राम्य पत्र, प्रतिभूतियां या अन्य बहुमूल्य वस्तुएं, कारोबार के दस्तावेज़, पासपोर्ट और अन्य पहचान पत्र या नमूने सम्मिलित नहीं करेगा।

9.1.4 प्राचीन अग्न्यायुध, तलवारें, चाकू और तत्समान मदें वाहक के विनियमों के अनुसार यात्री सामान के रूप में स्वीकार की जा सकेंगी।

9.1.5 यदि 9.1.1 या 9.1.2 में निर्दिष्ट कोई मदें वहन की जाती हैं, चाहे वे यात्री सामान के रूप में वहन से प्रतिषिद्ध क्यों न हों, तो उनका वहन यात्री सामान के वहन को लागू प्रभारों, दायित्व की परिसीमाओं और इन शर्तों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए होगा।

9.2 वहन करने से इंकार करने का अधिकार

9.2.1 वाहक 9.1 में वर्णित ऐसी मदों का यात्री सामान के रूप में वहन करने से इंकार कर सकेगा जो यात्री सामान के रूप में वहन किए जाने से प्रतिषिद्ध हैं और उनका पता चलने पर ऐसी मदों का आगे वहन करने से इंकार कर सकेगा।

9.2.2 वाहक किसी मद को उसके आमाप, आकार, भार या लक्षण के कारण यात्री सामान के रूप में वहन करने से इंकार कर सकेगा।

9.2.3 यदि वाहक के साथ पहले ही व्यवस्था नहीं की गई है तो वाहक ऐसे यात्री सामान को, जो लागू निःशुल्क सामान से अधिक है, पश्चात्वर्ती उड़ान पर ले जा सकेगा।

9.2.4 वाहक यात्री सामान को सौंपे गए यात्री सामान के रूप में स्वीकार करने से इंकार कर सकेगा जब तक कि हैंडलिंग में मामूली सावधानी से सुरक्षित वहन सुनिश्चित करने के लिए वह सूटकेसों या अन्य उचित आधानों में समुचित रूप से पैक नहीं किया गया है।

9.3 तलाशी का अधिकार

वाहक, संरक्षा और सुरक्षा के लिए यात्री से उसके शरीर और सामान की तलाशी की अनुज्ञा देने के लिए अनुरोध कर सकेगा और यदि यात्री उपलब्ध नहीं है तो यह अवधारित करने के प्रयोजन से कि उसके कब्ज़े में या उसके सामान में 9.1 में वर्णित कोई मद है, उसकी अनुपस्थिति में यात्री के सामान की तलाशी ले सकेगा या करा सकेगा। यदि यात्री ऐसे अनुरोध का पालन करने के लिए रज़ामंद नहीं है तो वाहक यात्री या यात्री सामान को ले जाने से इंकार कर सकेगा।

9.4 वाहक को सौंपा गया यात्री सामान

9.4.1 वाहक को सौंपे गए यात्री सामान के वाहक को परिदान किए जाने पर वाहक उसकी अभिरक्षा ग्रहण करेगा और सौंपे गए यात्री सामान की प्रत्येक मद के लिए यात्री सामान पहचान टैग जारी करेगा।

9.4.2 यदि यात्री सामान पर नाम, आद्यक्षर या अन्य व्यक्तिगत पहचान नहीं है, तो उसे स्वीकार किए जाने से पूर्व यात्री अपने सामान पर ऐसी पहचान लगाएगा।

9.4.3 वाहक को सौंपा गया यात्री सामान उसी विमान से जाएगा जिस पर यात्री जाता है। यदि वाहक विनिश्चय करता है कि ऐसा करना असाध्य है, तो ऐसे मामले में वाहक सौंपे गए यात्री सामान को अगली उड़ान से ले जाएगा जिसमें स्थान उपलब्ध है।

9.5 निःशुल्क यात्री सामान

वाहक के विनियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए यात्रीगण सामान निःशुल्क ले जा सकेंगे।

9.6 अधिक यात्री सामान

यात्री निःशुल्क यात्री सामान से अधिक यात्री सामान के वहन के लिए वाहक के विनियमों में उपबंधित दर और रीति से प्रभार का संदाय करेगा।

9.7 अधिक मूल्य घोषणा और प्रभार

9.7.1 यदि, वाहक के विनियमों के अनुसार वाहक अधिक मूल्यांकन सुविधा प्रदान करता है तो यात्री वाहक को सौंपे गए यात्री सामान के लिए लागू दायित्व परिसीमाओं से अधिक मूल्य घोषित करेगा । यदि यात्री ऐसी घोषणा करता है तो यात्री लागू प्रभार भी देगा ।

9.7.2 वाहक सौंपे गए यात्री सामान पर अधिक मूल्य घोषणा स्वीकार करने से इंकार करेगा जब वहन के एक भाग के लिए व्यवस्था किसी अन्य वाहक द्वारा की जानी है जो यह सुविधा प्रदान नहीं करता है ।

9.8 वाहक को नहीं सौंपा गया यात्री सामान

9.8.1 यात्री सामान जो यात्री विमान में ले जाता है ऐसा होना चाहिए जो यात्री के सामने की सीट के नीचे या केबिन में सामान रखने के लिए बनाए गए सामान-कक्ष में फिट आ जाए । वाहक द्वारा अत्यधिक भार या आकार की अवधारित की गई मदें केबिन में लाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

9.8.2 कार्गो कक्ष में परिवहन के लिए अनुपयुक्त वस्तुएं (जैसे नाजुक वाद्य यंत्र और उसी प्रकार की अन्य वस्तुएं) केबिन कक्ष में परिवहन के लिए केवल तभी स्वीकार की जाएंगी जब उनकी सम्यक् सूचना पहले दी गई हो और वाहक ने अनुज्ञा दे दी हो । ऐसी वस्तुओं के परिवहन के लिए पृथक् प्रभार लिया जा सकेगा ।

9.9 यात्री सामान की प्राप्ति और परिदान

9.9.1 यात्री अपना सामान गंतव्य अथवा विराम स्थानों पर सामान के उपलब्ध होते ही उसे यथाशीघ्र प्राप्त करेगा ।

9.9.2 जब यात्री सामान वाहक को सौंपा गया था उस समय यात्री को परिदत्त यात्री सामान पत्र और पहचान टैग का वाहक ही यात्री सामान के परिदान का हक़दार है । यात्री सामान का पहचान टैग प्रदर्शित न करने से परिदान निवारित नहीं होगा परंतु यह तब जब यात्री सामान पत्र पेश किया जाता है और यात्री सामान की अन्य साधनों से पहचान कर ली जाती है ।

9.9.3 यदि यात्री सामान का दावा करने वाला व्यक्ति यात्री सामान पत्र पेश करने और यात्री सामान (पहचान) टैग के माध्यम से यात्री सामान की पहचान करने में असमर्थ है, तो वाहक यात्री सामान का परिदान केवल इस शर्त पर करेगा कि वह उस पर अपना अधिकार वाहक के समाधानप्रद रूप में कर देता / देती है और यदि वाहक द्वारा अपेक्षा की जाए तो ऐसा व्यक्ति किसी हानि, नुकसान या व्यय के लिए, जो ऐसे परिदान के परिणामस्वरूप वाहक द्वारा उपगत की जाए, वाहक की क्षतिपूर्ति करने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति देगा ।

9.9.4 परिदान के समय किसी शिकायत के बिना यात्री सामान पत्र के वाहक द्वारा यात्री सामान की स्वीकृति इस बात का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है कि यात्री सामान अच्छी हालत में और वहन संविदा के अनुसार परिदत्त किया गया है ।

9.10 जीवजंतु

9.10.1 कुत्तों, बिल्लियों, घरेलू पक्षियों और अन्य पालतू जीव जंतुओं जैसे जीवजंतु जब उचित रूप से बंद किए गए हों और उनके साथ वैध स्वास्थ्य और टीका प्रमाणपत्र और प्रवेश परमिट तथा अभिवहन के देशों द्वारा

अपेक्षित अन्य दस्तावेज़ हों वाहक की पूर्व सहमति से वाहक के विनियमों के अधीन रहते हुए वहन के लिए स्वीकार किए जाएंगे ।

9.10.2 यदि कोई जीवजंतु यात्री सामान के रूप में स्वीकार किया जाता है तो वह जीवजंतु, उसका आधान और साथ में ले जाई जा रही खाद्यवस्तु यात्री के निःशुल्क सामान में सम्मिलित नहीं होगी बल्कि यह अधिक यात्री सामान माना जाएगा जिसके लिए यात्री लागू दर पर संदाय करेगा ।

9.10.3 जिनकी दृष्टि / श्रवण शक्ति कम हो गई है और शारीरिक निःशक्तताग्रस्त यात्रियों के साथ के मार्गदर्शक कुत्ते उनके आधानों और खाद्य सामग्री सहित, सामान्य निःशुल्क यात्री सामान के अतिरिक्त, वाहक के विनियमों के अधीन रहते हुए निःशुल्क ले जाए जाएंगे ।

9.10.4 जीवजंतुओं के वहन के लिए स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि यात्री ऐसे जीवजंतु की पूर्ण ज़िम्मेदारी लेता है । वाहक ऐसे जीवजंतु को क्षति, उसके खो जाने, विलंब, रुग्णता या मृत्यु के लिए उस दशा में दायी नहीं होगा कि उसे किसी देश, राज्य या राज्यक्षेत्र में प्रवेश या उसमें से ले जाने से इंकार किया जाता है ।

अनुच्छेद 10 - समय सारणी, उड़ानों का रद्द किया जाना

10.1 समय सारणी

वाहक यात्री और उसके सामान को युक्तियुक्त शीघ्रता के साथ ले जाने और यात्रा की तारीख को लागू प्रकाशित समय सारणी का पालन करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करने का वचनबंध करता है ।

10.2 समय सारणी का रद्द किया जाना, बदलना आदि

यदि वाहक अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण किसी उड़ान को रद्द करता है या उसमें विलंब करता है, पहले से पुष्ट स्थान की व्यवस्था करने में असमर्थ है, किसी यात्री के विराम या गंतव्य स्थान पर रुकने में असफल रहता है या किसी यात्री को आगे मिलने वाली उड़ान जिस पर यात्रा का आरक्षण है पाने में असफल कर देता है तो वाहक या तो :

10.2.1 यात्री को अपनी अनुसूचित यात्री सेवाओं में से किसी अन्य पर जिसमें स्थान उपलब्ध है ले जाएगा, या

10.2.2 यात्री को अपनी अनुसूचित सेवाओं या किसी अन्य वाहक की अनुसूचित सेवाओं या भूतल परिवहन द्वारा टिकट या उसके लागू भाग पर उपदर्शित गंतव्य तक दूसरे मार्ग से ले जाएगा । यदि पुनरीक्षित मार्ग के लिए किराए, अधिक यात्री सामान प्रभार और किसी लागू सेवा के लिए प्रभार की राशि टिकट या उसके लागू भाग के प्रतिदाय मूल्य से अधिक हैं तो वाहक यात्री से अधिक किराए या प्रभार की अपेक्षा नहीं करेगा और यदि पुनरीक्षित मार्ग के लिए किराया और प्रभार कम है तो अंतर का प्रतिदाय करेगा, या

10.2.3 अनुच्छेद 11 के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय करेगा, और यात्री के प्रति किसी और दायित्व के अधीन नहीं होगा ।

नुकसान करने के आशय से या अंधाधुंध या यह जानते हुए कि नुकसान होना अधिसंभाव्य है किए गए कार्यों या लोपों की दशा के सिवाय वाहक समयावलियों या अन्य प्रकाशित समय सारणियों में गलतियों या लोपों के लिए या किसी उड़ान की तारीखों, या प्रस्थान या आगमन के समय के बारे में या उसके प्रचालन के बारे में वाहक के कर्मचारियों, अभिकर्ताओं या प्रतिनिधियों द्वारा किए गए व्यपदेशनों के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा ।

अनुच्छेद 11 - प्रतिदाय

11.1 साधारण

वहन संविदा के अनुसार या जहां कोई यात्री अपने ठहरावों में स्वेच्छया परिवर्तन का अनुरोध करता है, वहन की व्यवस्था करने में वाहक के असफल रहने पर उपयोग में न लाए गए टिकट या उसके भाग के लिए वाहक द्वारा प्रतिदाय इस अनुच्छेद और वाहक के विनियमों के अनुसार किया जाएगा ।

11.2 वह व्यक्ति जिसे प्रतिदाय किया जाएगा

11.2.1 इस अनुच्छेद में इसके पश्चात् यथाउपबंधित के सिवाय वाहक या तो टिकट में नामित व्यक्ति या उस व्यक्ति को जिसने टिकट का संदाय किया है समाधानप्रद सबूत पेश करने पर प्रतिदाय करने का हक़दार होगा । उस दशा में जिसमें टिकट के लिए संदाय किसी यात्रा अभिकर्ता के माध्यम से किया जाता है प्रतिदाय सामान्यतः ऐसे यात्रा अभिकर्ता के माध्यम से किया जाएगा ।

11.2.2 यदि किसी टिकट के लिए संदाय टिकट में नामित यात्री से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है और वाहक ने टिकट पर उपदर्शित किया है कि प्रतिदाय पर कोई निर्बंधन है तो वाहक टिकट के लिए संदाय करने वाले व्यक्ति को ही या उस व्यक्ति के आदेश के अनुसार प्रतिदाय करेगा ।

11.2.3 खो गए टिकटों के मामले के सिवाय प्रतिदाय केवल यात्री कूपन या यात्री रसीद के अभ्यर्पण और उपयोग न किए गए सभी उड़ान कूपनों के अभ्यर्पण पर किए जाएंगे ।

11.2.4 यात्री कूपन या यात्री रसीद और उपयोग में न लाए गए सभी उड़ान कूपन प्रस्तुत करने वाले और स्वयं को ऐसे व्यक्ति के रूप में व्यपदिष्ट करने वाले किसी व्यक्ति को जिसे 11.2.2 के निबंधनों के अनुसार प्रतिदाय किया जा सकता है, किया गया प्रतिदाय समुचित प्रतिदाय समझा जाएगा और वाहक को प्रतिदाय के लिए दायित्व तथा किसी अतिरिक्त दावे से उन्मोचित कर देगा ।

11.3 अस्वेच्छया प्रतिदाय

यदि वाहक कोई उड़ान रद्द कर देता है, किसी उड़ान को युक्तियुक्त रूप से समय सारणी के अनुसार प्रचालित करने में असफल रहता है, ऐसे स्थान पर रुकने में असफल रहता है जो यात्री का गंतव्य है या जहां विराम करने के लिए उसके पास टिकट है, पहले से पुष्ट स्थान की व्यवस्था करने में असमर्थ है या आगे की उड़ान लेने के लिए जिस पर यात्री का आरक्षण है यात्री को असफल कर देता है तो प्रतिदाय की रकम निम्नलिखित रकम होगी :

11.3.1 यदि टिकट के किसी भाग का भी उपयोग नहीं किया गया है तो संदत्त किराए के बराबर रकम;

11.3.2 यदि टिकट के किसी भाग का उपयोग किया गया है तो निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो उसी का प्रतिदाय होगा;

11.3.3 व्यवधान के स्थान से गंतव्य स्थान या अगले विराम स्थान तक एकल मार्ग किराया (जिसमें से लागू छूट और प्रभार काट लिए जाएंगे), या

11.3.4 संदत्त किराए और उपयोग किए गए परिवहन के लिए किराए के बीच अंतर ।

11.4 स्वेच्छया प्रतिदाय

यदि यात्री अपने टिकट के लिए प्रतिदाय इस अनुच्छेद के पैराज़ में वर्णित कारणों से भिन्न कारणों से चाहता है तो प्रतिदाय की रकम निम्नलिखित होगी :

11.4.1 यदि टिकट के किसी भाग का उपयोग किया गया है तो प्रतिदाय संदत्त किराए और उन स्थानों के बीच जिनके लिए टिकट का उपयोग किया गया है, यात्रा के लिए लागू किराए के बीच अंतर के बराबर रकम होगी जिसमें से लागू सेवा प्रभार या रद्दकरण फीस काट ली जाएगी ।

11.5 खो गए टिकट पर प्रतिदाय

11.5.1 यदि कोई टिकट या उसका भाग खो गया है तो प्रतिदाय खो जाने का वाहक को समाधानप्रद सबूत देने पर और किसी लागू सेवा प्रभार के संदाय पर इस शर्त पर किया जाएगा :

11.5.2 कि वह व्यक्ति जिसे प्रतिदाय किया जाता है ऐसे प्ररूप में जो वाहक द्वारा विहित किया जाए उस दशा में और उस विस्तार तक प्रतिदत्त रकम का वाहक को प्रतिसंदाय करने का वचनबंध करता है जिस तक खो गए टिकट या उसके भाग का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है या कि उसका प्रतिदाय टिकट अपने पास रखने वाले व्यक्ति को किया जाता है ।

11.6 प्रतिदाय करने से इंकार करने का अधिकार

11.6.1 टिकट की विधिमान्यता की समाप्ति के पश्चात् वाहक प्रतिदाय करने से तब इंकार कर सकेगा जब उसके लिए आवेदन वाहक के विनियमों में विहित समय के पश्चात् किया जाता है ।

11.6.2 वाहक उस टिकट पर प्रतिदाय करने से इंकार कर सकेगा जो वाहक को या देश के सरकारी अधिकारियों के वहां से प्रस्थान करने के आशय के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई है, जब तक कि यात्री वाहक को समाधानप्रद रूप में यह साबित न कर दे कि उसे उस देश में रहने की अनुज्ञा है या वह वहां से किसी अन्य वाहक या परिवहन के किसी अन्य साधन से प्रस्थान करेगा ।

11.7 करेंसी

सभी प्रतिदाय उस देश की जिसमें टिकट मूलतः क्रय किया गया था और उस देश की, जिसमें प्रतिदाय किया जा रहा है सरकारी विधियों, नियमों और विनियमों या आदेशों के अधीन रहते हुए होंगे । पूर्वगामी उपबंध के अधीन रहते हुए प्रतिदाय सामान्यतः उस देश में और उस देश की करेंसी में किए जाएंगे जिसमें टिकट का क्रय किया गया था ।

11.8 टिकट किसके द्वारा प्रतिदेय है

स्वैच्छिक प्रतिदाय केवल उस वाहक द्वारा किए जाएंगे जिसने मूलतः टिकट जारी किया था या उसके अभिकर्ता द्वारा किए जाएंगे यदि वह इस प्रकार प्राधिकृत है ।

अनुच्छेद 12 - विमान में आचरण

12.1.1 यदि यात्री विमान में ऐसा आचरण करता है जिससे विमान को या किसी व्यक्ति या विमान में किसी संपत्ति को खतरा हो जाता है या कर्मीदल के कर्तव्य पालन में बाधा डालता है या कर्मीदल के किसी अनुदेश का पालन करने में असफल रहता है या ऐसी रीति से व्यवहार करता है जिस पर अन्य यात्री युक्तियुक्त रूप से आपत्ति कर सकते हैं तो वाहक ऐसे उपाय कर सकेगा जो वह ऐसे आचरण के चालू रहने को निवारित करने के लिए आवश्यक समझे जिसके अंतर्गत यात्री का अवरोध है ।

12.1.2 यात्री विमान में रेडियो नियंत्रित खिलौने और वॉकी-टॉकी सहित वहनीय रेडियो, इलैक्ट्रॉनिक खेल या पारेषण उपकरण नहीं चला सकेगा । यात्री वाहक की अनुज्ञा के बिना विमान में किन्हीं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों को नहीं चलाएगा सिवाय इसके कि वहनीय रिकार्डर, श्रवण सहायक और हृदय पेसमेकरों (गतिदायक) का उपयोग किया जा सकेगा ।

12.1.3 वाहक फोटोचित्र खींचना प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि सरकारी विनियमों द्वारा इस प्रकार अपेक्षित हो ।

अनुच्छेद 13 - वाहक द्वारा इंतज़ाम

यदि विमान वहन संविदा करने के अनुक्रम में वाहक अतिरिक्त सेवा के उपबंध के लिए इंतज़ाम करने के लिए भी सहमत हो जाता है तो वाहक का यात्री के प्रति दायित्व तभी होगा जब वह ऐसे इंतज़ाम करने में जानबूझकर उपेक्षा करता है ।

अनुच्छेद 14 - प्रशासनिक औपचारिकताएं

14.1 साधारण

यात्री उन देशों की, जिनसे, जिनमें या जिनके ऊपर से उड़ान की जानी है, सभी विधियों, विनियमों, आदेशों, मांगों और यात्रा अपेक्षाओं और वाहक के विनियमों और अनुदेशों का पालन करने के लिए अकेले ही जिम्मेदार होगा । वाहक आवश्यक दस्तावेज़ या वीज़ा अभिप्राप्त करने या ऐसी विधियों, विनियमों, आदेशों, मांगों और अपेक्षाओं के चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दी गई हों, पालन के संबंध में किसी यात्री को वाहक के अभिकर्ता या कर्मचारी द्वारा दी गई किसी सहायता या जानकारी के लिए या ऐसे

दस्तावेज़ या वीज़ा अभिप्राप्त करने या ऐसी विधियों, विनियमों, आदेशों, मांगों, अपेक्षाओं, नियमों या अनुदेशों के पालन में उसकी असफलता के कारण किसी यात्री को होने वाले परिणामों के लिए दायी नहीं होगा ।

14.2 यात्रा दस्तावेज़

यात्री संबंधित देशों की विधियों, विनियमों, आदेशों, मांगों या अपेक्षाओं द्वारा अपेक्षित सभी निर्गमन, प्रवेश, स्वास्थ्य संबंधी और अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा । वाहक को किसी ऐसे यात्री को वहन करने से इंकार करने का अधिकार होगा जिसने लागू विधियों, विनियमों, आदेशों, मांगों या अपेक्षाओं का पालन नहीं किया है या जिसके दस्तावेज़ ठीक प्रतीत नहीं होते हैं ।

14.3 प्रवेश से इंकार

जब कभी वाहक से सरकारी आदेश पर किसी यात्री को उसके प्रारंभ के स्थान या अन्य स्थान पर वापस ले जाने की अपेक्षा किसी देश में यात्री की अग्राह्यता के कारण की जाती है चाहे वह अभिवहन का देश हो या गंतव्य का हो, तो यात्री लागू किराए का संदाय करने का वचनबंध करता है । वाहक को वहने के लिए संदत्त किंतु उपयोग न किए गए धन का या वाहक के पास यात्री का जो भी धन हो उसका वाहक ऐसे किराए के मद्दे विनियोग कर सकेगा । प्रवेश से इंकार के या विवासन के स्थान तक वहन के लिए प्राप्त किराया वाहक द्वारा वापस नहीं किया जाएगा ।

14.4 यात्री जुर्मानों, निरोध के खर्चे आदि के लिए जिम्मेदार होगा

यदि संबंधित देशों की विधियों, विनियमों, आदेशों, मांगों और यात्रा अपेक्षाओं का पालन करने या अपेक्षित दस्तावेज़ पेश करने में यात्री की असफलता के कारण वाहक से कोई जुर्माना या शास्ति संदत्त या जमा करने या कोई व्यय उपगत करने की अपेक्षा की जाती है तो यात्री, मांग किए जाने पर, इस प्रकार संदत्त या जमा की गई किसी रकम के लिए या इस प्रकार उपगत किसी व्यय के लिए वाहक को प्रतिपूर्ति करेगा । वाहक वहन के लिए वाहक को संदत्त किन्हीं निधियों का या वाहक के पास यात्री की जो भी निधियां हों उनका ऐसे व्यय के मद्दे उपयोग कर सकेगा ।

14.5 सीमा-शुल्क निरीक्षण

यदि अपेक्षा की जाए तो यात्री अपने वाहक को सौंपे गए या वाहक को नहीं सौंपे गए, सामान के सीमाशुल्क या अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय उपस्थित रहेगा । इस अपेक्षा का पालन करने में असफलता के कारण यात्री को हुई किसी हानि या नुकसान के लिए वाहक यात्री के प्रति दायी नहीं है ।

14.6 सुरक्षा जांच

यात्री सरकारी या हवाईअड्डा अधिकारियों या वाहक द्वारा किन्हीं सुरक्षा जांच को स्वीकार करेगा ।

अनुच्छेद 15 - आनुक्रमिक वाहक

विभिन्न आनुक्रमिक वाहकों द्वारा एक टिकट के अधीन या एक टिकट या उसके संबंध में जारी किए गए किसी संयुक्त टिकट के अधीन किया जाने वाला वहन एक संक्रिया के रूप में माना जाएगा ।

अनुच्छेद 16 - नुकसान के लिए दायित्व

16.1 जब तक 16.5 में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो इसके अधीन अंतरराष्ट्रीय वहन, विमानवहन अधिनियम, 1972, तारीख 20 मार्च, 2009 के वर्ष 2009 के अधिनियम संख्या 28 द्वारा यथासंशोधित में सम्मिलित कन्वेंशन द्वारा स्थापित दायित्व से संबंधित नियमों और परिसीमाओं के अधीन होगा ।

यात्री की मृत्यु अथवा शारीरिक चोट के मामले में होने वाले नुकसान के लिए वाहक केवल इस शर्त पर दायी होगा कि दुर्घटना, जिससे होने वाली मृत्यु अथवा चोट विमान पर लगी हो या विमान पर चढ़ने या उतरने की किसी संक्रिया के दौरान हुई हो ।

वाहक को सौंपे गए सामान के नुकसान अथवा खो जाने या क्षति के मामले में हुई हानि के लिए वाहक केवल इस स्थिति में दायी होगा कि वह घटना जिससे होने वाला नुकसान, खोना या क्षति विमान पर हुई हो अथवा किसी भी अवधि के दौरान हुई हो जब सौंपा गया सामान वाहक के प्रभार में था । तथापि यदि सामान की अंतर्निहित त्रुटि, गुणवत्ता अथवा दोष के कारण क्षति हुई हो या और उस सीमा तक क्षति हुई हो, तो वाहक दायी नहीं होगा । व्यक्तिगत मदों सहित न सौंपे गए सामान के मामले में वाहक दायी होगा यदि नुकसान उसकी अथवा उसके कर्मचारियों या अभिकर्ताओं की गलती से हुआ हो ।

विलंब के कारण कभी-कभी होने वाले नुकसान के लिए वाहक दायी नहीं होगा यदि वह साबित करता है कि उसने तथा उसके कर्मचारियों एवं अभिकर्ताओं ने नुकसान से बचने के लिए युक्तिसंगत रूप से किए जा सकने वाले सभी आवश्यक उपाय किए थे या इसके लिए या उनके लिए ऐसे उपाय कर पाना असंभव था ।

यदि वाहक साबित करता है कि मुआवज़े का दावा करने वाले व्यक्ति अथवा वह व्यक्ति जिससे वह अपने अधिकारों को प्राप्त करता है कि लापरवाही अथवा किसी अन्य गलत कार्य या चूक के कारण नुकसान हुआ है, तब वाहक दावा करने वाले के प्रति अपने दायित्व से उस सीमा तक पूर्णतः या अंशतः छूट जाएगा कि ऐसी लापरवाही या गलत कार्य या चूक के कारण क्षति हुई है या क्षति में उसका योगदान रहा है । यात्री की मृत्यु अथवा उसे लगी चोट के कारण यात्री से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति मुआवज़े का दावा करता है तो वाहक इसी तरह पूर्णतः या अंशतः अपने दायित्व से उस सीमा तक छूट जाएगा कि वह साबित करता है कि उस यात्री द्वारा लापरवाही या अन्य गलत कार्य या चूक के कारण क्षति हुई अथवा क्षति में योगदान हुआ ।

भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं.सां.आ.1283(इ.) के अनुसरण में विमानवहन संशोधन अधिनियम, 2009 को अधिसूचित करते हुए एअर इंडिया एतद्द्वारा सहमत है कि अंतरराष्ट्रीय वहन में क्षति के लिए इसका दायित्व निम्नलिखित सीमा तक होगा :

1. मृत्यु अथवा चोट के मामले में विशेष आहरण अधिकार, प्रति यात्री 1,00,000, जिसका भुगतान वाहक द्वारा अग्रिम भुगतान के रूप में किया जाएगा ।

बशर्ते कि वाहक इस सीमा से अधिक के लिए दायी नहीं होगा यदि वह साबित करता है कि :

(क) ऐसी क्षति वाहक अथवा उसके कर्मचारी या अभिकर्ताओं की लापरवाही या अन्य गलत कार्य अथवा चूक के कारण नहीं हुई है ।

(ख) ऐसी क्षति एकमात्र तीसरे पक्षकार की लापरवाही या अन्य गलत कार्य अथवा चूक के कारण हुई हो ।

2. व्यक्तियों के वहन के विलंब के मामले में विशेष आहरण अधिकार प्रति यात्री 4694 होगा ।

3. प्रत्येक यात्री के सामान के नुकसान, हानि, क्षति या विलंब के मामले में विशेष आहरण अधिकार प्रति यात्री 1131 होगा, बशर्ते कि वाहक को सौंपा जाने वाला सामान वाहक को सौंपते समय गंतव्य पर सुपुर्दगी के दौरान यात्री द्वारा इस आशय की विशेष घोषणा की गई हो तथा यदि आवश्यक हो, तो अनुपूरक राशि का भुगतान किया गया हो तथा ऐसे मामले में वाहक घोषित राशि से अधिक राशि न देने का उत्तरदायी होगा, जब तक यह साबित नहीं होता कि यह राशि गंतव्य पर सुपुर्दगी में यात्री के वास्तविक मूल्य से अधिक न हो ।

16.2 इसके अंतर्गत जो अंतरराष्ट्रीय वहन नहीं है भारतीय विमानवहन अधिनियम, 1972 की धारा 8 के अंतर्गत समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथाविनिर्दिष्ट दायित्व से संबंधित नियमों और परिसीमाओं के अधीन है ।

भारत सरकार द्वारा जारी की गई तारीख 22.8.1989 की अधिसूचना सं.सां.आ.659(ड.) के अनुसरण में एअर इंडिया एतद्द्वारा सहमत है कि इसका दायित्व निम्न होगा । किसी यात्री की मृत्यु या किसी यात्री को पहुंची शारीरिक चोट या उसे घाव होने की स्थिति में जिसके परिणामस्वरूप स्थायी अपंगता हो, जिससे वह अपने सामान्य कर्तव्यों या व्यवसाय या पेशा करने के लिए अक्षम हो जाए, ऐसी स्थिति में प्रत्येक यात्री के लिए वाहक का दायित्व होगा, यदि यात्री दुर्घटना की तारीख को 12 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, तो रु. 7,00,000 और यदि यात्री दुर्घटना की तारीख को 12 वर्ष से कम आयु का हो, तो रु.3,75,000 होगा ।

किसी यात्री को पहुंची चोट या उसे घाव होने की स्थिति में, जिसके परिणामस्वरूप अस्थायी अपंगता हो, जिससे घायल यात्री अपने सामान्य व्यवसाय या पेशा या ड्यूटी को करने में पूरी तरह असमर्थ हो, तो वाहक का दायित्व प्रत्येक यात्री प्रतिदिन रु.500/- होगा, जब तक वह इस तरह कार्य करने में असमर्थ रहे पर परिगणित राशि तक सीमित होगा या रु.1,00,000/- की राशि, जो भी कम हो ।

16.3 उस विस्तार तक जो पूर्वगामी के विरुद्ध नहीं है और चाहे कन्वेंशन लागू होती हो या नहीं :

1. वाहक स्वयं उसकी लाइन पर होने वाले नुकसान के लिए दायी है । किसी अन्य वाहक की लाइनों पर टिकट जारी करने वाला या यात्री सामान प्राप्त करने वाला वाहक दूसरे वाहक के लिए केवल अभिकर्ता के रूप में ऐसा करता है । फिर भी वाहक को सौंपे गए यात्री सामान की बाबत यात्री को पहले या अंतिम वाहक के विरुद्ध कार्रवाई का अधिकार भी होगा;

2. वाहक नहीं सौंपे गए यात्री सामान के लिए तभी दायी होगा जब ऐसा नुकसान वाहक की उपेक्षा से हुआ हो । यदि यात्री की योगदायी उपेक्षा है तो वाहक का दायित्व योगदायी उपेक्षा से संबंधित लागू विधि के अधीन रहते हुए होगा;

3. वाहक किन्हीं विधियों या सरकारी विनियमों, आदेशों या अपेक्षाओं के उसके द्वारा पालन से या उनका पालन करने में यात्री की असफलता से उद्‌भूत किसी नुकसान के लिए दायी नहीं है;

4. यदि यात्री सामान पत्र पर यात्री सामान का भार लिखा नहीं है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि वाहक को सौंपे गए यात्री सामान का कुल भार संबंधित सेवा श्रेणी के लिए वाहक के विनियमों में यथा उपबंधित निःशुल्क यात्री सामान से अधिक नहीं है । यदि वाहक को सौंपे गए यात्री सामान के मामले में 9.7 के अनुसरण में उच्चतर मूल्य घोषित किया जाता है तो वाहक का दायित्व ऐसे उच्चतर घोषित मूल्य तक सीमित होगा;

5. वाहक का दायित्व साबित नुकसानी की रकम से अधिक नहीं होगा । इसके अतिरिक्त वाहक अप्रत्यक्ष या पारिणामिक नुकसान के लिए दायी नहीं होगा;

6. वाहक, यात्री को लगी चोट या यात्री के सामान को हुए नुकसान के लिए, जो ऐसे यात्री के सामान में अंतर्विष्ट संपत्ति के कारण हुई है, दायी नहीं है । कोई यात्री जिसकी संपत्ति से किसी अन्य व्यक्ति को क्षति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या वाहक की संपत्ति को क्षति होती है, तो वह वाहक की सभी हानि और उसके परिणामस्वरूप वाहक द्वारा उपगत व्यय के लिए क्षतिपूर्ति करेगा;

7. वाहक नाज़ुक या विनश्वर मदों, धन, आभूषणों, बहुमूल्य धातुओं, चांदी के बर्तनों, परक्राम्य पत्रों, प्रतिभूतियों, या अन्य मूल्यवान वस्तुओं, कारोबार के दस्तावेजों, पासपोर्टों या अन्य पहचान पत्रों या नमूनों को, जो यात्री के वाहक को सौंपे गए सामान में सम्मिलित हैं, हुए नुकसान के लिए दायी नहीं है;

8. यदि ऐसे यात्री का वहन किया जाता है जिसकी आयु या मानसिक या शारीरिक दशा ऐसी है जिससे उसे परिसंकट या खतरा हो सकता है तो वाहक किसी रुग्णता, चोट या निःशक्तता, जिसके अंतर्गत ऐसी दशा के कारण हुई मानी जाने वाली मृत्यु है या ऐसी दशा के गुरुत्तर हो जाने के लिए दायी नहीं होगा ।

9. वाहक के दायित्व का कोई अपवर्जन या परिसीमा, वाहक के अभिकर्ताओं, कर्मचारियों और प्रतिनिधियों तथा ऐसे व्यक्ति के, जिसके विमान का उपयोग वाहक द्वारा किया जाता है और ऐसे व्यक्ति के अभिकर्ताओं, कर्मचारियों और प्रतिनिधियों को लागू होगा और उनके फायदे के लिए होगा । वाहक से और ऐसे अभिकर्ताओं, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों और व्यक्ति से वसूल की जा सकने वाली कुल रकम वाहक के दायित्व की सीमा की रकम से अधिक नहीं होगी ।

16.4 जब तक अभिव्यक्त रूप से ऐसा उपबंधित न हो इसमें अंतर्विष्ट किसी बात से कन्वेंशन या लागू विधियों के अधीन वाहक के दायित्व के किसी अपवर्जन या परिसीमा का अधित्यजन नहीं होगा ।

16.5 विशेष उपबंध

16.5.1 **विशेष करार**

संयुक्त राज्य अमरीका को, से या में सहमत विराम स्थान सहित वहन को लागू विशेष करार (लागू अमरीकन टैरिफ देखें) ।

वाहक कन्वेंशन में उपबंधित दायित्व की परिसीमा का उपभोग करेगा । किंतु कन्वेंशन के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार एअर इंडिया और कुछ अन्य वाहक करार करते हैं कि ऐसे वाहकों द्वारा सभी अंतरराष्ट्रीय वहन के बारे में जिनको कन्वेंशन लागू होता है और जिसके अंतर्गत वहन संविदा के अनुसार प्रारंभ स्थान, गंतव्य स्थान या सहमत विराम स्थान के रूप में संयुक्त राज्य अमरीका में कोई स्थान है :

(क) मृत्यु, घाव या अन्य शारीरिक चोट के लिए प्रत्येक यात्री के लिए दायित्व की सीमा विधिक फीस और खर्चों को सम्मिलित करते हुए 75,000 अमरीकी डॉलर होगी, सिवाय इसके कि किसी राज्य में, जहां विधिक फीस और खर्चों के पृथक अधिनिर्णयन के लिए उपबंध किया गया है, लाए गए दावे की दशा में विधिक फीस और खर्चों को अपवर्जित करते हुए 58,000 अमरीकी डालर होगी;

(ख) ऐसे वाहक किसी यात्री की मृत्यु, घाव या अन्य शारीरिक चोट से उद्भूत होने वाले किसी दावे की बाबत कन्वेंशन के अनुच्छेद 20(1) के अधीन किसी प्रतिरक्षा का उपभोग नहीं करेंगे ।

इसमें दी गई किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी व्यक्ति द्वारा, उसकी ओर से या उसकी बाबत, जिसने जानबूझकर नुकसान किया है जिसके परिणामस्वरूप किसी यात्री की मृत्यु, घाव या अन्य शारीरिक चोट लगी है, लाए गए किसी दावे की बाबत ऐसे वाहकों के अधिकारों और दायित्वों पर प्रभाव डालती है ।

इस पैरा में निर्दिष्ट करार के पक्षकार वाहकों के नाम ऐसे वाहकों के सभी टिकट कार्यालयों में उपलब्ध हैं और अनुरोध पर उन्हें देखा जा सकेगा । ऐसे प्रत्येक वाहक ने अपनी ओर से और अपने द्वारा किए गए वहन की बाबत अकेले उक्त करार किया है और उसके द्वारा किसी अन्य वाहक पर ऐसे अन्य वाहक द्वारा किए गए वहन के भाग की बाबत कोई दायित्व अधिरोपित नहीं किया है या ऐसे अन्य वाहक द्वारा किए गए वहन के भाग की बाबत कोई दायित्व अपने ऊपर नहीं लिया है ।

16.5.2 इटली का विधायन

सभी अंतरराष्ट्रीय वहन के लिए जिसको कन्वेंशन लागू होता है इटली के किसी न्यायालय के समक्ष लाई गई किसी कार्रवाई में जहां ऐसा न्यायालय अधिकारिता ग्रहण करता है मृत्यु या वैयक्तिक चोट के लिए प्रत्येक यात्री के लिए दायित्व की सीमा एक लाख (1,00,000) विशेष आहरण अधिकार होगी । ये अधिकार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा उपयोजित मूल्यांकन रीति के अनुसार राष्ट्रीय करेंसी में संपरिवर्तित किए जाएंगे ।

16.5.3 दायित्व की सीमा में स्वैच्छिक वृद्धि

ऊपर अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किसी अंतरराष्ट्रीय वहन के अनुक्रम के दौरान वास्तविक वाहक के रूप में एअर इंडिया वारसा कन्वेंशन (भारतीय विमानवहन अधिनियम, 1972 में सम्मिलित) के उपबंधों के अधीन मृत्यु, घाव या अन्य शारीरिक चोट के लिए दायी है तो एअर इंडिया इसके द्वारा करार करती है कि उसके अधीन विहित उसके दायित्व की सीमा प्रति यात्री 1,00,000 विशेष आहरण अधिकार या उसके समतुल्य तक बढ़ा दी जाएगी ।

अनुच्छेद 17 - दावों और कार्रवाइयों पर समय परिसीमा

17.1 दावों की सूचना

वाहक को सौंपे गए यात्री सामान की क्षति की स्थिति में कोई कार्रवाई नहीं होगी यदि परिदान का हक़दार व्यक्ति नुकसान का पता चलने के पश्चात तुरंत और प्राप्ति की तारीख से अधिक से अधिक सात (7) दिन के भीतर वाहक को शिकायत नहीं करता है और विलंब की दशा में यदि शिकायत उस तारीख से, जिसको यात्री सामान उसके निपटान पर रख दिया गया है, इक्कीस (21) दिन के भीतर नहीं की जाती है । प्रत्येक शिकायत लिखित रुप में की जाएगी और उपर्युक्त समय के भीतर भेजी जाएगी । यदि उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर कोई शिकायत नहीं की गई तो वाहक द्वारा की गई धोखाधड़ी के मामले को छोड़कर वाहक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

17.2 कार्रवाइयों की परिसीमा

यदि कार्रवाई गंतव्य पर आगमन की तारीख से या उस तारीख से, जिसको विमान को आना चाहिए था, या उस तारीख से, जिसको वहन रुक गया, संगणित दो वर्ष के भीतर नहीं लाई जाती है तो नुकसानी के सभी अधिकार निर्वापित हो जाएंगे । परिसीमा की अवधि की संगणना करने की रीति मामले का संज्ञान करने वाले न्यायालय की विधि द्वारा अवधारित की जाएगी ।

17.3 अधिकारिता

क्षति के दावेदार के विकल्प पर सरकारी पक्षकारों के किसी एक के क्षेत्र में या तो वाहक के अधिवास-क्षेत्र या इसके व्यवसाय के मुख्य स्थान के न्यायालय के समक्ष या जहां उसका व्यवसाय हो या जहां उसके व्यवसाय का स्थान हो, जिसके माध्यम से संविदा की गई है या गंतव्य स्थान पर न्यायालय के समक्ष सामान के संबंध में क्षति के लिए कार्रवाई की जाएगी ।

मृत्यु के मामले में, ऊपर उल्लिखित न्यायालयों में या दुर्घटना के समय जिस राज्य में दुर्घटना हुई हो, उसकी सीमा में, जहां यात्री का मूल निवास और स्थायी निवास हो और जहां से / या जहां के लिए वाहक ने वायु मार्ग द्वारा यात्रियों के वहन के लिए सेवाएं प्रचालित की हों, अपने खुद के विमान से या वाणिज्यिक करार के अनुसरण में दूसरे वाहक के विमान से, जिसमें वाहक पट्टे पर लिए गए परिसरों से विमान द्वारा यात्रियों के वहन का अपना व्यवसाय करता हो या वाहक द्वारा अपने स्वयं के परिसर से या दूसरे वाहक द्वारा, जिसके साथ उसका वाणिज्यिक करार हो, व्यवसाय करता हो, क्षति के लिए उस पर कार्रवाई की जाएगी ।

संविदाकृत वाहक के अलावा अन्य वाहक (अर्थात् वास्तविक वाहक) द्वारा हवाई मार्ग से वहन किए गए सामान के मामले में, शिकायतकर्ता के विकल्प पर सरकारी पक्षकारों में से एक के क्षेत्र में या तो उस न्यायालय में जहां संविदाकृत वाहक के विरुद्ध कार्रवाई की जानी है या वहां, जहां वास्तविक वाहक का अधिवास है या उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान है, के कार्यक्षेत्र में क्षति के लिए कार्रवाई की जाएगी ।

अनुच्छेद 18 - उपांतरण और अधित्यजन

वाहक के किसी भी अभिकर्ता, कर्मचारी या प्रतिनिधि को वहन की इन शर्तों के किसी उपबंध का परिवर्तन, उपांतरण या अधित्यजन करने का प्राधिकार नहीं है ।

अनुवाद : हिन्दी अनुभाग द्वारा